निगम को पैसा।धन की वसूली के लिए इस संपत्ति को बेचने का अधिकार है।अन्यथा भी, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 60 का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(18) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(19) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई दलीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

(20) हालाँकि, निर्णय से अलग होने से पहले, यह देखा जा सकता है कि हमने याचिकाकर्ताओं के वकील को निर्देश प्राप्त करने का अवसर दिया था यदि वे जमा करने के इच्छुक थे। उन्होंने ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता निगम के बकाया ऋण का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का रवैया सबसे अनुचित है।ऋण लेने के बाद, वे चुकाने को तैयार नहीं हैं। वे जितना हो सके उतना भुगतान करने को भी तैयार नहीं हैं।

(21) नतीजतन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। इन परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

आर.एन.आर

माननीय न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और एन. के. सूद के समक्ष, जे. जे.

सुमन देवी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

यू. टी. प्रशासन चंडीगढ़ और *अन्य-उत्तरदाता*

C.W.P. No. 15270 of 1999

6 जुलाई, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 & 226—चंडीगढ़ में मकानों और स्थलों और सेवाओं का अनुज्ञप्ति योजना, 1979 -खंड 2 से 5 और 7-अतिक्रमणकारी-सरकारी भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण और कब्जा-याचिकाकर्ता 1979 की योजनाओं के तहत आवश्यक किराये के आवंटन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और भेदभाव के आरोप को साबित करने के लिए विफल रहते हैं।

-एक वैकल्पिक स्थल का दावा करने का कोई अधिकार नहीं-अतिक्रमणकारियों से खाली किए गए स्थलों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही में अधिकारियों की कार्रवाई कानूनी है- रिट याचिकाएं खारिज कर दिया गईं।

अभिनिर्धारित किया कि यह भी स्थापित नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता 'मान्यता प्राप्त निवासियों' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के लिए चंडीगढ़ में रह रहे हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने किसी भी स्थल या आवास के आवंटन के लिए अधिकारियों को कोई आवेदन जमा नहीं किया है। निर्वाचक नामावली वर्ष 1998 में तैयार की गई थी। यहां तक कि उस वर्ष पहचान पत्र भी जारी किए गए थे। निर्वाचक

सूची इंगित करती है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1998 से इस स्थल पर रह रहे हैं। यह उन्हें किसी भी योजना या क़ानून के तहत एक वैकल्पिक साइट का दावा करने या लाइसेंस आदि की याचिका को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं देता है। याचिकाकर्ता भेदभाव के अपने आरोप को साबित करने में भी पूरी तरह विफल रहे हैं। इस स्थिति में, हम संतुष्ट हैं कि वे यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उनसे स्थानों को खाली कराने के लिए अधिकारियों की कार्रवाई अवैध या अनधिकृत है।

(पैरा 16 &17)

मेसर्स जी. सी. धूरीवाला और प्रीतम सैनी, *याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ।*

संजीव शर्मा, यू. टी. चंडीगढ़ के अधिवक्ता

सी. बी. गोयल, चंडीगढ़ आवास बोर्ड के अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, जे. (ओ)

(1) हमारी पास तीन याचिकाएँ हैं, जिनमे प्रश्न आम है। क्या याचिकाकर्ताओं को उस भूमि पर रहने का अधिकार है जिस पर उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और क्या प्रतिवादी-प्राधिकरणों को याचिकाकर्ताओं द्वारा खड़ी की गई झुग्गियों/संरचनाओं को ध्वस्त करने से रोका जाना चाहिए? याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने CWP No. 15270 of 1999 में तथ्यों का उल्लेख किया है। इन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(2) 90 याचिकाकर्ता केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लेबर कॉलोनी नंबर 5, गाँव बुड़ैल में रहने का दावा करते हैं। वे मजदूरी करने का दावा करते हैं। आगे यह बताया जाता है कि उनके पहचान पत्र के साथ-साथ राशन कार्ड भी है। वे पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से झुग्गियों में रह रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने अलग-अलग ब्लॉक बनाकर झुग्गियों को नंबर आवंटित किए हैं नामत: ए, बी, सी और डी आदि।

(3) 29 अक्टूबर, 1999 को प्रशासन की प्रवर्तन शाखा झुग्गियों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से स्थल पर पहुंची। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे अनधिकृत रूप से नहीं रह रहे थे। वास्तव में, वे लाइसेंसधारी थे क्योंकि प्रशासन द्वारा उनका पुनर्वास किया गया था। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि "अतिक्रमणकारियों को सरकार द्वारा..... वैकल्पिक स्थल देकर हटाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में न तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उस स्थान से स्थानांतरित करने का कोई अवसर दिया गया था और न ही कोई वैकल्पिक स्थान"। CWP No. 11637 of 1996 (आजाद भारत कॉलोनी और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) जिसका निर्णय 9 अप्रैल, 1999 को दिया गया, में इस न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की कि एक उचित रिट, आदेश या निर्देश "प्रतिवादीगण को वैकल्पिक स्थल प्रदान किया जाने तक झुग्गियों को ध्वस्त करने से रोकने क लिए" जारी किया जाए।

(4) श्री आशीष कुंद्रा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, यू. टी. चंडीगढ़, द्वारा प्रतिवादी न. 1 और 2 की ओर से एक जवाब दावा दायर किया गया है। यह कहा गया है कि "विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण हाल ही में *23* दिसंबर, 1998 के अधिनिर्णय न. 521 और 26 मार्च, 1999 के अधिनिर्णय न. 527 के माध्यम से किया गया है। अधिग्रहण से पहले भूमि कृषि प्रकृति की थी"। आगे यह कहा गया है कि "याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहना बिल्कुल गलत है कि उन्हें इस भूमि पर चडीगढ़ प्रशासन द्वारा पुनर्वासित किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासन निजी कृषि भूमि पर लोगों का पुनर्वास नहीं कर सकता है। झुग्गी

वासियों ने भूमि पर अपना अधिकार या अधिकार दिखाने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। राजस्व रिकॉर्ड में याचिकाकर्ताओं के दावे को साबित करने के लिए कोई प्रविष्टि नहीं है"। प्रतिवादीगण का कहना है कि "भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा इंजीनियरिंग विभाग को सौंप दिया गया था, जिसने बदले में 17 सितंबर, 1999 को चंडीगढ़ आवास बोर्ड को कब्जा सौंप दिया था"। इस आधार पर यह दावा किया जाता है कि भूमि प्रशासन और चंडीगढ़ आवास बोर्ड में निहित है। याचिकाकर्ता "सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारी" हैं। याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि "वे यू. टी. प्रशासन के लाइसेंसधारी हैं, पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है और भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं है"। यह भी कहा गया है कि जब बोर्ड ने अतिक्रमण से भूमि को हटाने के लिए एक छोटी सी कार्रवाई करने की कोशिश की, तो झुग्गी निवासियों ने बहुत नाराजगी दिखाई। बोर्ड ने पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया। यह कहा गया है कि "प्रशासन सरकारी भूमि के प्रत्येक अतिक्रमणकारी के पुनर्वास के लिए बाध्य नहीं है। वास्तव में, चंडीगढ़ में, भूमि हर गुजरते दिन के साथ सिकुड़ रही है और याचिकाकर्ता भौतिक लाभ के लिए भूमि हड़पने का प्रयास कर रहे हैं"। इन आधारों पर यह प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

(5) चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से श्रीमती वर्षा जोशी, आई. ए. एस. द्वारा एक जवाब दावा दायर किया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता "सरकारी भूमि पर केवल रैंक अतिक्रमणकारी हैं"।अब तक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा अधिग्रहण और भूमि की लागत के कारण प्रशासन को पहले ही रु. 9,07,48,950.00 का भुगतान किया जा चुका है। इस भूमि का उपयोग "सेक्टर 51-ए के विकास के लिए किया जाएगा और उत्तरदाता-बोर्ड को चंडीगढ़ प्रशासन की अनुमोदित योजना के अनुसार निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बाजार की स्थापना के अलावा आम जनता के लिए फ्लैटों की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण करना है। उत्तरदाता प्रत्यर्थी को 17 सितंबर, 1999 को कब्जा सौंप दिया गया है, जिसमे सेक्टर 51-ए की योजना में लाल दिखाया गया क्षेत्र भी शामिल है, जो याचिकाकर्ताओं के अनधिकृत कब्जे में है"। 29 अक्टूबर, 1999 को बोर्ड के कुछ अधिकारी स्थल पर गए थे और अतिक्रमणकारियों से इसे खाली करने का अनुरोध किया था। वे शत्रुतापूर्ण थे। इसके बाद अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। इस तरह अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इन आधारों पर, प्रत्यर्थी प्रार्थना करता है कि रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

(6) CWP No. 15926 of 1999 में, याचिकाकर्ता एक पर्यटक बस कंपनी चलाने का दावा करता है। इसका कार्यालय एससीओ नं. 2443-44, सेक्टर 22-सी, चंडीगढ़ में है। यह दावा करता है कि उसने निजामपुर कुंबरा गाँव में बसों की पार्किंग और कर्मचारियों के आश्रय के लिए कुछ जमीन किराए पर ली थी। याचिकाकर्ता को भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 16 अगस्त, 1996 को "अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए" पेश होने का नोटिस दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह कमरों को हटाने के लिए तैयार है लेकिन वह वैकल्पिक स्थान के आवंटन का हकदार है। 15 नवंबर, 1999 को प्रतिवादीगण के अधिकारी स्थल पर पहुंचे और संरचनाओं को ध्वस्त करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादीगण को तब तक संरचनाओं को ध्वस्त करने से रोका जाना चाहिए जब तक कि एक "वैकल्पिक स्थान" प्रदान नहीं किया जाता है।

(7) इस मामले में भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावे दायर किए गए हैं।

(8) CWP No. 15769 of 1999 में 100 याचिकाकर्ता हैं। उनका दावा है कि वे पिछले 7-8 वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गाँव झुमरू में शाहिद भगत सिंह कॉलोनी में रह रहे हैं। उन्होंने जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर अपने घर बनाए हैं जो उनके द्वारा खरीदे गए थे या पट्टे पर लिए गए थे। वे यह भी प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादीगण को तब तक घरों को ध्वस्त करने से रोका जाए जब तक कि उन्हें वैकल्पिक स्थान आवंटित नहीं किए जाते।

(9) इस मामले में प्रतिवादीगण को नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसलिए कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

मामला विभिन्न पीठों के समक्ष रखा गया और स्थगित कर दिया गया।

(10) इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि शुरू में, इन रिट याचिकाओं को एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें हम में से एक (जवाहर लाल गुप्ता, जे.) सदस्य थे। दलीलें सुनी गईं और फैसला लंबित रखा गया। फैसला सुनाए जाने से पहले, CWP No. 15270 of 1999 में Civil Misc. No. 30037 of 2000 दाखिल किया गया था। अन्य दो मामलों में कोई आवेदन पत्र दायर नहीं किया गया था। इस आवेदन पत्र की सूचना पीठ द्वारा 22 दिसंबर, 2000 को जारी की गई थी। प्रतिवादीगण के वकील ने तथ्यात्मक स्थिति की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए समय मांगा था। इसके बाद, मामले को 16 मार्च, 2001 को उसी पीठ के समक्ष रखा गया। आवेदन पत्र को अनुमति दी गई। जिन अतिरिक्त दस्तावेजों में मतदाता सूची और पहचान पत्र से उद्धरण शामिल थे, उन्हें रिकॉर्ड में ले लिया गया। रोस्टर के अनुसार मामलों को एक पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। इन मामलों को इस पीठ के समक्ष रखा गया है।

(11) याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील श्री जी. सी. धूरीवाला ने दोहरी दलील दी है। सबसे पहले, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता कई वर्षों से संबंधित स्थानों पर रह रहे हैं। जब तक उन्हें वैकल्पिक स्थान आवंटित नहीं किए जाते, तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। दूसरा, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को स्थान आवंटित नहीं करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है। वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों ने "चंडीगढ़ योजना, 1979 में मकानों और स्थलों और सेवाओं का अनुज्ञप्ति" (इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) तैयार किया था। इस योजना के तहत, सरकारी संपत्ति के विभिन्न अनधिकृत कब्जाधारियों को समायोजित किया गया था। याचिकाकर्ताओं के साथ समान व्यवहार नहीं करने पर प्रतिवादीगण की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इन दलीलों को विद्वान वकील श्री प्रीतम सैनी ने अपनाया, जो अन्य दो मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे का प्रतिवाद मेसर्स संजीव शर्मा, राजीव नारायण रैना और सी. बी. गोयल ने किया, जो प्रतिवादीगण की ओर से पेश हुए।

(12) याचिकाकर्ताओं ने निस्संदेह दावा किया है कि उनका चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पुनर्वास किया गया था ।वे लाइसेंसधारी हैं। हालाँकि, प्रतिवादीगण द्वारा इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है। कोई प्रतिकृति दाखिल नहीं की गई है। उनमें से कुछ ने जमीन खरीदने या पट्टे पर लेने का भी दावा किया है। कोई विवरण नहीं दिया गया है। जमीन कब खरीदी गई थी? किससे? कितने मे ? इसी तरह, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि किन याचिकाकर्ताओं ने पट्टे पर जमीन ली थी। किससे? इसका कोई जवाब नहीं है। पूरी तरह से अस्पष्ट कथन किए गए हैं। इसके अलावा, बार-बार पूछे जाने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं के वकील किसी भी साक्ष्य का उल्लेख करने में असमर्थ थे जो यह दिखा सके कि उनके कब्जे में भूमि पर उनका कोई अधिकार या स्वत्वाधिकार था। वास्तव में, दलीलों के दौरान, वकील ने वास्तव में स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ता अतिक्रमणकारी हैं। इस स्थिति में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को अपने कब्जे में संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वत्वाधिकार नहीं है।

(13) उपरोक्त के सामने, याचिकाकर्ताओं के वकील ने शुरू में प्रशासन द्वारा बनाई गई योजना पर भरोसा किया, जिसे "लीज और किराया खरीद आधार योजना 1979 पर कम लागत वाले घरों का चंडीगढ़ आवंटन" कहा जाता है। योजना के अवलोकन पर, वकील को यह बताया गया कि इसे 9 दिसंबर, *1997* की अधिसूचना के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। फिर वकील ने "चंडीगढ़ में घरों और स्थलों और सेवाओं के लाइसेंस योजना, 1979" के प्रावधानों का उल्लेख किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस योजना के आधार पर, याचिकाकर्ता मकानों और स्थलों के आवंटन के हकदार थे। क्या ऐसा ही है?

(14) योजना के खंड 2 में प्रावधान है कि "यह चंडीगढ़ में रहने वाले उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो इसके तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं...."

योजना के खंड 3 (जी) में 'मान्यता प्राप्त निवासी' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:—

'मान्यता प्राप्त निवासी का अर्थ है:—

(i) 1971 *से लेबर* कॉलोनी का एक प्रामाणिक निवासी जिसकी आय रु. 500.00 से अधिक न हो या

(ii) *1974 से लेबर* कॉलोनी का एक प्रामाणिक निवासी जिसकी मासिक पारिवारिक आय रु. 250.00 से अधिक लेकिन रु. 500.00 से कम हो।

(iii) पूर्ववर्ती *बजवाड़ा या उसके* किसी हिस्से के प्रामाणिक पट्टेदार/कब्जा करने वाला, जिसकी मासिक आय रु. 500.00 से अधिक न हो।

(15) खंड 4 के तहत, सक्षम प्राधिकारी श्रम कालोनियों को खाली करने के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार करने का हकदार है। खंड 5 के तहत, पात्र व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन जमा करना आवश्यक है। खंड 7 के तहत, एक व्यक्ति किराये के मकान या स्थान के आवंटन का हकदार है बशर्ते वह निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

(16) वर्तमान मामले में, यह भी स्थापित नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता 'मान्यता प्राप्त निवासियों' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के लिए चंडीगढ़ में रह रहे हैं। इसके आगे, याचिकाकर्ताओं ने किसी भी स्थल या आवास के आवंटन के लिए अधिकारियों को कोई आवेदन पत्र जमा नहीं किया है। इस स्थिति में, हम संतुष्ट हैं कि वे यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उनसे साइटों को खाली कराने के लिए अधिकारियों की कार्रवाई अवैध या अनधिकृत है।

(17) श्री धूरीवाला ने CWP No. 15270 of1999 में CM No. 30037 of 2000 के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का उल्लेख किया है। हमने निर्वाचक नामावली और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन किया है। निर्वाचक नामावली वर्ष 1998 में तैयार की गई थी। यहां तक कि उस वर्ष पहचान पत्र भी जारी किए गए थे। यह याचिकाकर्ताओं के मामले को पहले से ही देखे गए और विचार किए गए मामले से आगे नहीं बढ़ाता है। उत्तम रूप मे, निर्वाचक सूची इंगित करती है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1998 से स्थान पर रह रहे हैं। यह उन्हें किसी भी योजना या क़ानून के तहत वैकल्पिक स्थल का दावा करने या लाइसेंस आदि की याचिका को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं देता है।

(18) श्री धूरीवाला ने तर्क दिया कि नागरिकों को आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य बाध्य है। ऐसा मानते हुए, एक तथ्य जो हर किसी को घूरता है, वह यह है कि बड़ी संख्या में लोग आजीविका कमाने और आश्रय पाने की उम्मीद में चंडीगढ़ जा रहे हैं। इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर, प्रशासन की अपनी कठिनाइयाँ हैं। उन्हे जमीन की जरूरत है। उन्हे धन की भी आवश्यकता होती है। भूमि और संसाधन सीमित होने के कारण, यह सभी को आश्रय नहीं दे सकता है। इसके अलावा, प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील द्वारा यह सही बताया गया था कि उन व्यक्तियों के मामले में भी जिन्हें समायोजित किया गया था, यह पाया गया है कि एक महत्वपूर्ण प्रतिशत ने वास्तव में किराये पर मकानों को बेच दिया था और वहाँ से चले गए थे। इस स्थिति में, इस दावे को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि प्रत्येक अनधिकृत कब्जाधारी को तब तक अपने कब्जे में भूमि पर रहने का अधिकार है जब तक कि उसे एक वैकल्पिक स्थान आवंटित नहीं किया जाता है।

(19) यह निस्संदेह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सभ्य नौकरी और कुछ आवास होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को जीवन की सभी आवश्यकताएँ प्रदान करना 'उपयुक्त' होगा। हालांकि, इस तरह की योजना के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। जब संसाधन सीमित होते हैं, तो आदर्श को प्राप्त करना असंभव हो जाता है। वर्तमान मामले में, हम संतुष्ट हैं कि प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इससे बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती।

(20) श्री धुरीवाल ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है क्योंकि कुल लगभग 25,000 व्यक्तियों को वास्तव में प्रतिवादीगण द्वारा समायोजित किया गया है। हालांकि, वकील रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री का उल्लेख करने में असमर्थ था जो यह दिखा सकता है कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया गया है। वकील द्वारा एक भी उदाहरण उद्धृत नहीं किया गया है जो अदालत को संतुष्ट कर सके कि याचिकाकर्ताओं के साथ समान रूप से रखे गए किसी भी व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार किया गया है। भेदभाव का आरोप लगाना बहुत आसान है। लेकिन आरोप साबित होने तक प्राधिकरण के खिलाफ कोई अग्रिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता भेदभाव के अपने आरोप को साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

(21) अंत में, आजाद भारत कॉलोनी और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (CWP No. 11637 of 1996 जिसका निर्णय *19* अप्रैल, 1999 को दिया गया था) के मामले में खंड पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया था। इस मामले में, पीठ ने निस्संदेह निर्णय दिया है कि सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाना चाहिए। फैसले के अवलोकन के बाद, हम संतुष्ट हैं कि

वह निर्णय पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में लिया गया था। सबसे पहले, यह एक तथ्य के रूप में पाया गया कि भेदभाव था। दूसरा, डिवीजन बेंच के समक्ष मामले में याचिकाकर्ताओं ने राशन कार्ड और बिजली के बिलों आदि के रूप में सबूत पेश किए थे ताकि यह साबित किया जा सके कि वे लंबे समय से विशेष स्थानों पर रह रहे थे। वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वास्तव में, केस फाइल के अवलोकन से पता चलता है कि तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग है। लंबे समय तक रहने का संकेत देने वाला कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। यह पूरी तरह से निराधार दावा किया गया है कि जमीन खरीदी गई थी या पट्टे पर ली गई थी। यह भी झूठ कहा गया है कि याचिकाकर्ता लाइसेंसधारी हैं और उन्हें प्रशासन द्वारा समायोजित किया गया था। इन दलीलों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है और याचिकाओं में कथनों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। इसलिए, तर्क को अपनाया नहीं जा सकता है।

(22) किसी भी वकील द्वारा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(23) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इनमें से किसी भी याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। नतीजतन, इन्हें खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था करने और खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर

माननीय न्यायमूर्ति एम. एल. सिंघल के समक्ष, जे.

श्रीमती निर्मल-वादी/याचिकाकर्ता

बनाम

लखपत सिंह और अन्य-उत्तरदाता/प्रतिवादी

C.R. No. 938 of 1999

11 जुलाई, 2001

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-039 Rl 1 और 2-बेचने *का समझौता-समझौते के उल्लंघन में किसी अन्य को बेची गई भूमि-साक्ष्य के प्रश्न-खरीदार के खिलाफ निषेधाज्ञा को अस्वीकार करने वाले न्यायालय-अस्थायी निषेधाज्ञा-विवेकाधिकार-का प्रयोग-उच्च न्यायालय को विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है यदि निम्न न्यायालयः*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा